



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08012026-269210
CG-DL-E-08012026-269210

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18]
No. 18]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 7, 2026/पौष 17, 1947
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 7, 2026/PAUSHA 17, 1947

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2026

फा. सं. पीएफआरडीए-01/13/13/0004/2025-पीएसी.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 45 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन सलाहकार समिति की बैठकें) विनियम, 2015 के विनियम 6 के उप-विनियम 4 के निबंधनों के अनुरूप प्राधिकरण, एतद्वारा, पूर्व में राजपत्र अधिसूचना दिनांक 19 मई, 2022 के माध्यम से गठित पेंशन सलाहकार समिति को, इस अधिसूचना के लागू होने की तिथि से पुनर्गठित करता है। पुनर्गठित पेंशन सलाहकार समिति निम्नलिखित है :

- उप सचिव (स्थापना II), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
- उप लेखा महानियंत्रक (तकनीकी सलाह), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय
- निदेशक (लेखा), डाक विभाग, नई दिल्ली
- निदेशक (वित्त/बजट), रक्षा वित्त, रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में

5. निदेशक, बजट, वित्त विभाग, भोपाल, मध्य प्रदेश सरकार
6. मुख्य कार्यकारी-इंडियन बैंक्स एसोसिएशन
7. अध्यक्ष, एनपीएस न्यास
8. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एस बी आई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
9. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड
10. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रोटियन ईगांव टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड (पूर्व में एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड)
11. निदेशक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, पुणे
12. अध्यक्ष, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज़ ऑफ इंडिया
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
14. अध्यक्ष – सीआईआई – नेशनल कमिटी ऑन इन्श्योरेंस एंड पेंशन्स
15. डॉ. एम.एस. साहू, पूर्व अध्यक्ष, आईबीबीआई
16. श्री धीरेंद्र कुमार, संस्थापक और सीईओ, वैल्यू रिसर्च
17. सुश्री चित्रा जयसिन्हा, एक्चुअरियल साइंस विशेषज्ञ और पूर्व अध्यक्ष, एनपीएस न्यास

प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य पेंशन सलाहकार समिति के पदेन अध्यक्ष और पदेन सदस्य होंगे।

शिवसुब्रमाणियन रमण, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./590/2025-26]

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2026

F. No. PFRDA-01/13/13/0004/2025-PAC.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 45 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (Act 23 of 2013), and in terms of the sub regulation 4 of the regulation 6 of Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Advisory Committee Meetings) Regulations, 2015, the Authority hereby reconstitutes the Pension Advisory Committee constituted earlier vide Gazette Notification dated 19th May, 2022, with effect from the date of this notification. The reconstituted Pension Advisory Committee is as under:

1. Deputy Secretary (Establishment II), Department of Personnel & Training
2. Deputy Controller General of Accounts (Technical Advice), Department of Expenditure, Ministry of Finance
3. Director (A/Cs), Department of Posts, New Delhi
4. Director (Fin/Budget), Defence Finance, as representative of Ministry of Defence
5. Director, Budget, Department of Finance, Bhopal, Government of Madhya Pradesh
6. Chief Executive-Indian Banks' Association
7. Chairman, NPS Trust
8. Managing Director & Chief Executive Officer, SBI Pension Funds Private Limited
9. Managing Director & Chief Executive Officer, Axis Pension Fund Management Limited
10. Managing Director & Chief Executive Officer, Protean eGov Technologies Limited. (formerly NSDL e-Governance Infrastructure Ltd.)

11. Director, National Institute of Bank Management, Pune
12. President, Institute of Actuaries of India
13. Chief Executive Officer, Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India
14. Chairman – CII-National Committee on Insurance & Pensions
15. Dr. M.S. Sahoo, former Chairperson, IBBI
16. Shri Dharendra Kumar, Founder & CEO, Value Research
17. Ms Chitra Jayasimha, Expert in Actuarial Science and Ex-Chairman, NPS Trust

The Chairperson and the Members of the Authority shall be the ex officio Chairperson and ex officio members of the Pension Advisory Committee.

SIVASUBRAMANIAN RAMANN, Chairperson

[ADVT.-III/4/Ext./590/2025-26]